फर्द अहकाम

(का)लय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर

मोहनलाल बनाम गुड्डी देवी

(वाद/मुकदमा) संख्या /वर्ष प्रा०पत्र 136 LR Act 84 /2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं. 1 व 2 सम्यक तामील के बावजूद उप० नहीं हुए पत्रावली की आदेशिका दिनांक 15/9/22 पर अंकित है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 को आज पुनः बार-बार ~~रुक~~ रुक-रुक कर आवाजे दिलाई गई। अप्रार्थी सं. 1 व 2 उप० नहीं। अतः अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी सं. 3 अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 3 की ओर से पूर्व मे दि० 13/1/23 को जवाब पेश हो चुका है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु दि० 25/10/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय	
25/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा०पत्र 136 LR Act आंशिक स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णय शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र : 84/2020
निर्णय दिनांक : 25.10.2023

1. मोहन लाल पुत्र कानामरा जाति बारागांव ब्राहम्ण
2. रामकिशोर पुत्र कानामरा जाति बारागांव ब्राहम्ण
   निवासीगया ग्राम भाटेड तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गुडडी देवी पत्नी रामस्वरूप जाति बारागांव ब्राहमण
2. मुन्नी देवी पत्नी शंकरलाल जाति बारागांव ब्राहम्ण
   निवासीगया ग्राम भाटेड तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सागानेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1015/1 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1024 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1025 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1027/2 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1015/1 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.23 हैक्टेयर ग्राम भोटेड तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जो हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी सख्या 1 के नाम हिस्सा 1/4 प्रार्थी सख्या 2 के नाम 1/4 व अप्रार्थी सख्या 1 के नाम हिसा 1/4 अप्रार्थी सख्या 2 के नाम 1/4 दर्ज है जो विवादित है। गत राजस्व रिकार्ड के मुताबिक वादग्रस्त भूमि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम हिस्सा 2/3 दर्ज थी तथा वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/3 दर्ज थी। अप्रार्थी संख्या 3 के अधिकारियो व कर्मचारियों द्वारा गत राजस्व रिकार्ड के मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड मे सही अकन नही किया गया और सहवन से प्रार्थीगण का हिस्सा 2/3 के बजाय 1/4 दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है इसी प्रकार सहवन से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/3 के बजाय 3/4 दर्ज कर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned with CamScanner

दिया गया जो कि गलत है ऐसी स्थिति मे हाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गलत हिस्से को दुरूस्त करके गत राजस्व रिकार्ड के मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड मे सही हिस्सा दर्ज किया जावे । वादग्रस्त भूमि के गत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थीगण के पिता का सही नाम कानाराम अकित था अप्रार्थी सख्या 3 के राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो ने सहवन से हाल राजस्व रिकार्ड मे कानाराम के स्थान पर कन्हैयालाल अकित कर दिया गया जिससे दुरूस्त किया जाकर कानाराम अकित किया जाना आवश्यक है । प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित गत राजस्व रिकार्ड के मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड अकित किये जाने के सम्बन्ध मे अप्रार्थी संख्या 3 को दिनाक 07.12.2020 को निवेदन किया तो उन्होने रिकोर्ड संसोधित करने से मना कर दिया इस कारण गत राजस्व रिकार्ड के मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड मे अकन किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित विवादित भूमि के राजस्व रिकोर्ड मे प्रार्थीगण का हिस्सा 1/4 को दुरूस्त करके सही हिस्सा 2/3 यानी कि प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/3 प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/3 व अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/6, अप्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/6 एवं प्रार्थी संख्या 1 के पिता का नाम कन्हैयालाल को दुरूस्त करके कानाराम राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी अंकित करने का आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 15.09.2023 को पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामिल उपस्थित नही। दिनांक 13.10.2023 को पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सम्यक तामिल के बावजूद उपस्थित नही हुये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पुनः बार–बार, रूक–रूक कर आवाजे दिलाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 3 ने देनांक 13.01.2023 को जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने जवाब में अंकित कया कि बिन्दु संख्या 1 में दर्ज खसरा नम्बर मुताबिक वाद पत्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज ी वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमती विभाजन आदेश क्रमांक भू.अ./2010/ पक्षकार संख्या 5 में दर्ज खातेदारों के नाम के साथ उनका हिस्सा दर्ज नही है। क्षकार संख्या 5 पर खातेदारों का हिस्सा उल्लेखित नही होने के कारण सेग्रिगेसन माबंदी में सभी खातेदारों का हिस्सा 1/4–1/4 दर्ज हुआ है। आपसी सहमती

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned with CamScanner

...भाजन आदेश में पक्षकारा संख्या 5 में खातेदारों के हिस्सा का उल्लेख ना होने पर ...दी के हिस्सा का उल्लेख ना होने पर वादी के हिस्सा 2/3 व प्रतिवादी के हिस्सा .../6–1/6 के बजाय सभी खातेदारों का हिस्सा 1/4–1/4 दर्ज हुआ है। बिन्दु ...संख्या 4 के तथ्य अस्वीकार है क्योंकि तत्कालीन जमाबन्दी संवत 2066–69 के खाता ...संख्या 8 व 88 में प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल ही दर्ज है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस ...जारी कर तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सम्यक तामिल के बावजूद ...उपस्थित नही होने पर दिनांक 13.10.223 को एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी ...संख्या 3 के ओर से जवाब पेश हुआ। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब का ...सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि बिन्दु संख्या 1 में दर्ज खसरा नम्बर मुताबिक वाद पत्र ...राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति विभाजन आदेश ...क्रमांक भू.अ./2010 में पक्षकार संख्या 5 में दर्ज खातेदारों के नाम के साथ उनका ...हिस्सा दर्ज नही है। पक्षकार संख्या 5 पर खातेदारों का हिस्सा उल्लेखित नही होने के ...कारण सेग्रिगेसन जमाबन्दी में सभी खातेदारों का हिस्सा 1/4–1/4 दर्ज हुआ है। ...बिन्दु संख्या 4 के तथ्य अस्वीकार है क्योंकि तत्कालीन जमाबन्दी संवत् 2066–69 के ...खाता संख्या 8 व 88 में प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल ही दर्ज है। अप्रार्थी ...संख्या 3 अनुपस्थित।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में ...प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान ...-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली, राजस्व रिकार्ड व जवाब तहसीलदार सांगानेर का आधोपान्त ...अवलोकन करने व बहस का सगौर मनन किया गया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है ...कि तहसीलदार सांगानेर ने अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के ...मध्य आपसी विभाजन आदेश क्रमांक भू.अ./2010 में पक्षकार संख्या 5 में दर्ज खातेदारों ...के नाम के साथ उनका हिस्सा दर्ज नही होने के कारण सेग्रिगेसन जमाबंदी में सभी ...खातेदारों का हिस्सा 1/4–1/4 दर्ज हुआ है। जबकि प्रार्थीगण हिस्सा 2/3 व ...अप्रार्थीगण के 1/6–1/6 होना चाहिऐ थे। जिस दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत है। ...तत्कालीन जमाबन्दी संवत् 2066–69 के खाता संख्या 8 व 88 मे प्रार्थी का नाम ...मोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल ही दर्ज है तथा हाल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned with CamScanner

संख्या 133 में भी मोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल दर्ज है। अतः नाम शुद्धि अस्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम भोटेड तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1015/1 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1024 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1025 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1027/2 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1015/1 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.23 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/4 को दुरूस्त कर सही हिस्सा 2/3 यानी कि प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/3 प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/3 व अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/6, अप्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/6 राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है तथा तत्कालीन जमाबन्दी संवत् 2066–69 के खाता संख्या 8 व 88 मे प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल ही दर्ज है तथा हाल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता संख्या 133 में भी मोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल दर्ज है। अतः नाम शुद्धिकरण अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Scanned with CamScanner